



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 जुलाई, 2022

आषाढ़ 21, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 2028/81-2-2021-4(1)-2020

लखनऊ, 12 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-326

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में सृजित करने का विनिश्चय किया गया है।

2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, वन बन्दोबस्त अधिकारी, खीरी को उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

| जिला | तहसील | परगना    | ग्राम           | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | सीमा विवरण                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------|----------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4               | 5           | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                    |
| खीरी | गोला  | हैदराबाद | ग्रन्ट लन्दनपुर | 2271        | 2.1650                   | उत्तर-गाटा संख्या 2265, 2266, 2269, 2270, 2261<br>दक्षिण-गाटा संख्या 2272, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2211<br>पूर्व-गाटा संख्या 2213, 2214, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239<br>पश्चिम-ग्राम शीतलपुर ग्रन्ट की सीमा |
|      |       |          |                 | योग         | 2.1650 हेक्टेयर          |                                                                                                                                                                                                                                      |

आज्ञा से,  
मनोज सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।